# सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 370 / सो.आ.नि.–312 / 2013
दिनाँकः 14 नवम्बर, 2013

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

विषयः द्वितीय छमाही के लिए जारी कैलेण्डर के अनुसार सोशल आडिट गॉवसभा की बैठक सम्पन्न होने के बाद जिला / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं, वित्तीय वर्ष 2013–14 की द्वितीय छमाही में इस निदेशालय द्वारा निर्गत कैलेण्डर के अनुसार पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीमों द्वारा माह अक्टूबर से सोशल आडिट सम्पन्न किया जा रहा है। जारी कैलेण्डर के अनुसार यदि आपके जनपद में किसी विकास खण्ड में सोशल आडिट निर्धारित ग्राम पंचायतों में सम्पन्न हो गया है तो वहां के ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा अपने कार्यक्षेत्र की ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा के अधीन श्रमिकों के अधिकार, ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख, सोशल आडिट पर जन सामान्य की सहभागिता के लाभ, इन्दिरा आवास लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया इत्यादि के बार में जागरूकता अभियान के रूप में ग्रामसभा के सदस्यों, श्रमिकों, गॉव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, एन0जी0ओ0 आदि से सघन संपर्क स्थापित कर उन्हें उनके अधिकारों एवं दायित्वों के बारे में जागरूक करने का कार्य किया जाना अपेक्षित है। उक्तवत जागरूकता अभियान के अन्तर्गत कोआर्डिनेटरों द्वारा जो कार्यवाही की जाएगी, उसका प्रतिवेदन उनके द्वारा तैयार किया जाए। इन प्रतिवेदनों का संकलन आपके अवलोकनोपरान्त जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा किया जाएगा।

कृपया उपरोक्तानुसार जिन विकास खण्डों में सोशल आडिट सम्पन्न हो गई है वहां के ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को जागरूकता अभियान चलाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्याः / सो0आ0नि0– / 2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1– समस्त मुख्य विकास अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
2– समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।

(शंकर सिंह)
निदेशक।

ARUN (DESKTOP)